न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 65/2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री भानू प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन केन्द्रीय दल निदेशालय निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर। हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सीताराम मीना पुत्र श्री शिम्भु दयाल मीना निवासी वार्ड संख्या 2 जयलाल पटेल का मौहल्ला, ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
   एफबीओ मैसर्सः—सीताराम पनीर उद्योग, ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

(परिवाद अन्तर्गत धारा 26 2(II) एवं 51एफएसएस रूल्स 2006)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 14.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 एवं अप्रेल 11, 2012 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटि फिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त(खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.06.2022 को 01:00 PM पर मैसर्सः—सीताराम पनीर उद्योग ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री शिम्भु दयाल मीना उपस्थित मिला। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री सीताराम मीना ने स्वयं को मैसर्सः—सीताराम पनीर उद्योग ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा का खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि एक एल्यूमीनियम की परात में लगभग 10 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें अवमानक का शक होने पर 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 280/—रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर करवाये एवं उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1 किग्रा मावा हिलामिलाकर मैश कर चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर प्रत्येक बोतल में 20—20 बून्द फार्मेलिन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक ए.जी.—2980 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज मे लपेटकर प्रत्येक भाग पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक ए.जी.–2980 नियमानुसार चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। चारो नमूना भागो पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर सील बन्द कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवार रसीद प्राप्त की। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ का मावा का नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /2033/एक्ट/2022/2041 दिनांक 10.06.2022 के अनुसार वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। नमूना सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा ना तो जवाब प्रस्तुत किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2033/एक्ट/2022/2041 दिनांक 10.06.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा के नमूने में मिल्क फैट की मात्रा मात्र 24.61 प्रतिशत ही पाई गई है, जो कि कम से कम 30 प्रतिशत होनी चाहिये थी। इस कारण खाद्य पदार्थ मावे का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभिुक्त ने उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2033/एक्ट/2022/2041 दिनांक 10.06.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा का नमूना सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not to be used

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री सीताराम मीना पुत्र श्री शिम्भूदयाल मीना निवासी वार्ड संख्या 2 जयलाल पटेलों का मौहल्ला ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय मैसर्सः–सीताराम पनीर उद्योग ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय पर 15000 / –(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 14.06.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक / FSSA/ दिनांकः– .06.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. श्री सीताराम मीना पुत्र श्री शिम्भु दयाल मीना निवासी वार्ड संख्या 2 जयलाल पटेल का मौहल्ला, ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
   एफबीओ मैसर्सः–सीताराम पनीर उद्योग, ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा